न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट नं०–2, लखनऊ।
आर्बिट्रेशन निष्पादन वाद सं०–570/2023
UPLK190011942023

Sushil Kumar
Vs.
Smt. Premlata Tewari & Others

दिनाँक–27.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र सी–210 व सी–212 एवं आपत्ति सी–214 व सी–216 एवं उत्तर सी–218 व सी–219 पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र सी–210 मय शपथ पत्र सी–211 अंतर्गत धारा–5, भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में डिक्रीदार की मृत्यु 18.03.2010 को हो गई थी। शपथी की माँ के बीमार होने के कारण, पिता की मृत्यु की जानकारी देने या उनकी जगह किसी और को लाने का आवेदन तय समय पर दाखिल नहीं किया जा सका। अब शपथी की माँ की सेहत में सुधार हुआ है, इसलिए पिता की मृत्यु की जानकारी देने और आगे की कार्यवाही के लिए आवेदन दाखिल किया जा रहा है। अतः डिक्रीदार द्वारा प्रार्थना पत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गई है।

3. निर्णीत ऋणी सं०–1 की ओर से डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सी–210 के विरुद्ध आपत्ति सी–214 मय शपथ पत्र सी–215 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आवेदक की मां की बीमारी को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का समर्थन नहीं किया गया है, इसलिए देरी जानबूझकर की गई थी और दिन–प्रतिदिन की देरी का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है, जो कार्यवाही के लिए आवश्यक और हानिकारक है, इसलिए इसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निष्पादन वाद में मूल डिक्रीदार का निधन हो चुका है और वर्तमान कार्यवाही विधिक वारिसों को शामिल किए बिना ही रिकॉर्ड में दर्ज कराई जा रही थी। प्रस्तावित डिक्रीदार द्वारा इसे रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। वास्तव में, प्रस्तावित डिक्रीदार ने एक आवेदन दायर किया और एक दशक से अधिक समय तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, जो अभी भी लंबित है। अतः उपर्युक्त कारणों से निर्णीत ऋणी सं० 1 की ओर से मृतक मूल डिक्रीदार के विधिक वारिसों को रिकॉर्ड में लाने के लिए आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने हेतु प्रस्तावित डिक्रीदार द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

4. डिक्रीदार की ओर से निर्णीत ऋणी सं०–1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सी–214 के विरुद्ध उत्तर सी–218 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन गलत धारणा के तहत दायर किया गया था, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के प्रावधान निष्पादन कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं और मृतक डिक्रीदार के विधिक वारिसों के नाम रिकॉर्ड में लाने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। डिक्रीदार सुशील कुमार की मृत्यु पर उनके विधिक वारिसों के नाम रिकॉर्ड में लाने के लिए समीर कुमार द्वारा आवेदन भी दायर किया गया है जो लंबित है और जिसका निस्तारण नहीं किया गया है। अतः डिक्रीदार की ओर से मृतक, डिक्रीदार के विधिक वारिसों के नाम रिकॉर्ड में लाने के लिए आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन करना आवश्यक नहीं है, अतः निर्णीत ऋणी द्वारा इस पर की गई आपत्तियां निरर्थक हैं और इन्हें नजरअंदाज किये जाने की याचना की गई है।

5. डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ए–212 समर्थित शपथ पत्र सी–213 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि डिक्रीदार की मृत्यु 18.03.2010 को हो गई थी। डिक्रीदार के विधिक वारिसान उसकी पत्नी श्रीमती ऊषा, उम्र लगभग 72 वर्ष, बड़ी बेटी सुश्री शिल्पा, उम्र लगभग 46 वर्ष एवं शपथी स्वयं श्री समीर कुमार, उम्र लगभग 43 वर्ष हैं। उक्त सभी विधिक वारिसान 2/23, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ के निवासी हैं तथा उनकी छोटी बेटी श्रीमती शालिनी, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी 201, Josephise Appartments 44, Saint Andrews Street next to Bandra Gym Khana, Bandra West Mumbai, 40050 है। मृतक डिक्रीदार ने 02.02.2006 की एक रजिस्टर्ड वसीयत छोड़ी है, जो लखनऊ के सब–रजिस्ट्रार द्वितीय के कार्यालय में बही सं० 3, जिल्द सं० 99, पेज 215 से 224 और क्रम सं० 42 पर रजिस्टर्ड है। मृतक डिक्रीदार ने अपनी सभी चल और अचल संपत्तियां शपथी के नाम कर दी हैं। इस प्रकार, शपथी ही मृतक डिक्रीदार का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। अतः डिक्रीदार की ओर से शपथी का नाम मृतक डिक्रीदार की जगह दर्ज करने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गई है और डिक्री को लागू करवाने का अधिकार अभी भी बना हुआ है।

6. निर्णीत ऋणी सं०–1 की ओर से डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सी–212 के विरुद्ध आपत्ति सी–216 मय शपथ पत्र सी–217 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि दिनांक 15.10.2010 को यह सूचित करते हुए दाखिल किया गया कि मूल डिक्रीदार श्री सुशील कुमार का निधन 18.03.2010 को हो गया था। पुनरीक्षण याचिका के आवेदन में संशोधन निर्णीत ऋणीगण द्वारा उनके आवेदन में किया गया था, लेकिन उपरोक्त वाद में केवल उत्तर के

रूप में आवेदन दाखिल करने के अलावा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया था। आवेदन में उल्लिखित वसीयत में वसीयतकर्ता की सभी चल और अचल संपत्तियों का उल्लेख है, लेकिन बाद में चल और अचल दोनों विशिष्ट संपत्तियों का उल्लेख किया गया है, जबकि इस मामले का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि वर्ष 2006 में यह निष्पादन वाद लंबित था और इसके अलावा, वसीयत के संबंध में कोई प्रोबेट दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि यह मामला आवेदक को वसीयत के रूप में दिया गया है। इसके अलावा यह भी कथन किया गया है कि आवेदन मृतक के केवल एक वारिस द्वारा दायर किया गया है, न कि सभी विधिक वारिसों द्वारा, इसलिए पक्षकारों को शामिल न करने के कारण इस आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।मूल डिक्रीदार ने इस न्यायालय में स्वच्छ नीयत से याचिका दायर नहीं की थी, क्योंकि स्वर्गीय श्याम किशोर तिवारी (मूल निर्णीत ऋणी) के 16.03.2000 के समझौते पर किए गए हस्ताक्षर और दिनांक 29.03.2000 के हस्ताक्षर जाली पाए गए थे, जैसा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ की दिनांक 21.07.2025 की रिपोर्ट से स्पष्ट है, जो पहले ही प्रकीर्ण वाद सं० 113/2024 में दायर की जा चुकी है और जाली हस्ताक्षर पर आधारित डिक्री मूल डिक्रीदार द्वारा किया गया धोखा है, जो विधि की दृष्टि में अमान्य है और इसलिए इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है। अतः निर्णीत ऋणी सं० 1 की ओर से डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार शेष नहीं रहता है, अतः यह आवेदन हर्जा सहित खारिज किये जाने की याचना की गई है।

7. डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्णीत ऋणी सं०–1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति सी–216 के विरुद्ध उत्तर सी–219 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आपत्ति के पैरा 1 की विषयवस्तु का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपत्ति के पैरा 2 के संदर्भ में केवल इतना ही स्वीकार किया जाता है कि निर्णीत ऋणीगण ने अपने सिविल पुनरीक्षण में मृतक डिक्रीदार सुशील कुमार के पुत्र के रूप में समीर कुमार का नाम दर्ज कराया है और आपत्ति के पैरा 2 की शेष विषयवस्तु स्वीकार नहीं की जाती है क्योंकि वे गलत हैं और समीर कुमार के आवेदन की संपूर्ण विषयवस्तु सही है और दोहराई गई है। आपत्ति के पैरा 3 और 4 में उल्लिखित बातें सही नहीं हैं, अतः इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है/अनुमति नहीं है। एक बार जब निर्णीत ऋणीगण ने अपनी सिविल पुनरीक्षण याचिका और अपनी अपील FAPL No. 820/2005 में मृतक डिक्रीदार सुशील कुमार के पुत्र के रूप में वसीयत के आधार पर समीर कुमार का नाम शामिल कर लिया, तो अब वे वसीयत के आधार पर समीर कुमार का नाम उसके पिता, अर्थात् मृतक डिक्रीदार के स्थान पर शामिल किए जाने पर आपत्ति करने से विवश हैं। स्वयं निर्णीत ऋणीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के तहत आपत्ति दर्ज कराई है जो

न्यायालय के समक्ष लंबित है। आपत्ति के पैराग्राफ 5 की विषयवस्तु पूरी तरह से गलत और झूठी है और यह इस आवेदन के दायरे से बाहर है, इसके अलावा निर्णीत ऋणीगण ने इसे शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण इरादे से उल्लेख किया है। विधि अनुसार निष्पादन याचिका पर कोई रोक नहीं है। निष्पादन वाद में मृतक डिक्रीदार के विधिक वारिसों का नाम दर्ज कराने के लिए विधि के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है; डिक्रीदार की मृत्यु होने पर किसी भी समय विधिक वारिसों का नाम दर्ज कराया जा सकता है। आवेदन ए–212 मृतक डिक्रीदार सुशील कुमार की मृत्यु का उल्लेख करने और आवेदक यानी समीर कुमार का नाम उनके मृतक पिता, मूल डिक्रीदार के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का एक साधारण आवेदन है और इसे स्वीकार किये जाने तथा इसके विरुद्ध आपत्तियां खारिज किये जाने की याचना की गई है।

8. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, कॉमर्शियल कोर्ट, लखनऊ द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में पारित आदेश दिनाँकित 20.02.2021 में यह उल्लिखित है कि "उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र सी–171 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि इजरा वाद जिला जज, लखनऊ के न्यायालय में दिनाँक 19.10.2000 को दाखिल किया गया। अन्तर्गत धारा–34 माध्यस्थम सुलह अधि० 1996 एवं आपत्ति अन्तर्गत धारा–47 सी०पी०सी० का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय से हो चुका है। धारा–15 कामर्शियल कोर्ट एक्ट के अनुसार केवल कामर्शियल डिस्प्यूट ही इस न्यायालय को ट्रांसफर किया जा सकते हैं। प्रस्तुत मामला कामर्शियल डिस्प्यूट का नहीं है। प्रकीर्ण वाद सं०–384 सी/2019 प्रेमलता तिवारी व अन्य बनाम समीर कुमार को जिला जज की कोर्ट में भेजे जाने का अनुरोध किया है। अतः पत्रावली जिला जज की न्यायालय में दिनांक 09.03.2021 को प्रेषित हो।" पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में प्रार्थना पत्र सी–171 डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में उपरोक्त आदेश दिनाँकित 20.02.2021 पारित किया गया है। पत्रावली से यह भी विदित होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्र दिनाँकित 20.09.2023 में उल्लिखित है कि "पत्रावली आदेश दिनाँकित 15.09.2023 के अनुपालन में विधि अनुसार निस्तारण हेतु कॉमर्शियल कोर्ट, लखनऊ में सम्प्रेषित की जाती है।" उक्त आदेश के नीचे जिला जज के हस्ताक्षर हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनाँक 22.09.2023 को पत्रावली कॉमर्शियल कोर्ट, लखनऊ में प्राप्त हुई। परन्तु पत्रावली पर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 15.09.2023 उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 15.09.2023 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित

20.02.2021 को अपास्त किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक–20.02.2021 के अनुपालन में उपरोक्त आर्बिट्रेशन निष्पादन वाद व उससे सम्बन्धित प्रकीर्ण सिविल वाद सं०–113/2024, प्रेमलता तिवारी व अन्य बनाम समीर कुमार को जिला जज, लखनऊ के न्यायालय में निस्तारण हेतु नियमानुसार प्रेषित की जाए। पक्षकार दिनाँक–10.08.2026 को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित हों। आदेश की प्रति सम्बन्धित प्रकीर्ण सिविल वाद सं०–113/2024, प्रेमलता तिवारी व अन्य बनाम समीर कुमार की पत्रावली पर रखी जाए।

पीठासीन अधिकारी,
कामर्शियल कोर्ट नं०–2,
लखनऊ।

Digitally signed by RAM PRAKASH PANDEY
Date: 2026.07.27 16:53:43 IST
Reason: Document Owner
Location: Commercial Court No.2, Lucknow.